अपीलीय अधिकरण

जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर

अपील/रेफरेंस/विविध प्रार्थना पत्र संख्या 319/25 (CIS NO. 319/25)

छोटू राम व अन्य बनाम जविप्रा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीसियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

रेफरेंस याचिका सं0 319/2025

छोटूराम व अन्य बनाम जविप्रा

दिनांक 28.07.2026

अधिवक्ता रेफरेंसकर्ता श्री शीशराम राव उपस्थित। अप्रार्थी सं0 1 जविप्रा की ओर से अधिवक्ता श्री युधिष्ठिर सारण उपस्थित। अप्रार्थी सं0 2 व 3 की ओर से अधिवक्ता श्री एस.एस. सोलंकी उपस्थित। अप्रार्थी सं0 4 की ओर से कोई उपस्थित नहीं।

बहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थीगण की ओर से हस्तगत रेफरेंस याचिका प्रस्तुत कर निवेदन निम्नप्रकार अनुतोष चाहा गया कि रेफरेन्स प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि विपक्षी संख्या एक को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से इस प्रकार पाबन्द फरमाया जायें वो विपक्षी संख्या दो से चार द्वारा अवैध रूप से की जा रही रिद्धि सिद्धि नगर viii योजना के सृजन व किये जा रहे विकास कार्यों को रोके व उसे तुरन्त प्रभाव से हटाया जावे व साथ–साथ विपक्षी संख्या दो व तीन को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जायें की वह रेफरेन्स के पैरा एक में वर्णित खसरा नम्बर की भूमि व स्थान पर जो गांव प्रहलादपुरा उर्फ धमकपुरा तहसील चाकसू जिला जयपुर की भूमि पर किसी प्रकार की आवासीय योजना का सृजन व विकास कार्य नहीं करे, ना करावें व किये गये समस्त विकास कार्य हटावे, आगे कोई निर्माण व विकास कार्य नहीं करे, व साथ–साथ विपक्षी संख्या चार को भी यह आदेश व निर्देश स्थाई तौर पर देवे की वह उक्त कृषि भूमि पर किसी प्रकार के व्यक्ति को आवंटन नहीं करे, ना करावे, ना कब्जे देवे व ना ही भू–रूपांतरण किये बिना व बिना स्वीकृति के किसी प्रकार कका कोई निर्माण व विकास कार्य रनहीं करे, ना करावे।

अपीलीय अधिकरण

जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर

अपील / रेफरेंस / विविध प्रार्थना पत्र संख्या 319/25 (CIS NO. 319/25)

छोटूराम व अन्य बनाम जविप्रा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीसियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

जविप्रा की ओर से हस्तगत रेफरेंस याचिका का जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि अप्रार्थी सं0 1 के यहां शिकायत प्रापत होने पर पूर्णतया जांच पडताल करने के उपरांत जविप्रा नियमानुसार कार्यवाही करते हुये दिनांक 28.11.2024 एवं दिनांक 25.01.2025 को ध्वस्तीकरण की कार्यवाही करते हुये अवैध निर्माण को हटा दिया गया है।

अप्रार्थीगण 2 व 3 की ओर से हस्तगत रेफरेंस याचिका का जवाब प्रस्तुत नहीं किया। अतः अप्रार्थीगण 2 व 3 का जवाब प्रस्तुत करने का अवसर समाप्त किया जाता है।

अतः यह अधिकरण हस्तगत रेफरेंस याचिका का निम्नप्रकार निस्तारण किया जाना न्यायसंगत समझता है।

आदेश

रेफरेंसकर्ता छोटू राम व अन्य की ओर से प्रस्तुत इस रेफरेंस याचिका में यह अधिकरण जविप्रा को आदेशित करता है कि वह मौके पर उपस्थित होकर निरीक्षण करे एवं बिना भू-रूपांतरण / जविप्रा की बिना अनुमति / स्वीकृति एवं नियम विरूद्व निर्माण पाया जाने पर विधि अनुसार प्रभावी कार्यवाही करे।उपरोक्तानुसार रेफरेंस याचिका का निस्तारण किया गया।

यह निर्णय आज दिनांक **28.07.2026** को खुले न्यायाधिकरण में लिखाया जाकर

अपीलीय अधिकरण

जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर

अपील/रेफरेंस/विविध प्रार्थना पत्र संख्या 319/25 (CIS NO. 319/25)

छीतूराम व अन्य बनाम जविप्रा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीसियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	सुनाया एवं हस्ताक्षरित किया गया। इस निर्णय की प्रमाणित प्रति सचिव जविप्रा को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमिल दाखिल दफ्तर हो।	